पत्र सं0-एम-4-04/2010 - 2188/वि0(2)

बिहार सरकार
वित्त विभाग ।

प्रेषक,

पटना, दिनांक-02.03.2010

मिहिर कुमार सिंह,
सचिव (व्यय) ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव ।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।
सभी जिलाधिकारी ।

विषयः- सरकारी कार्य हेतु भाड़े पर गाड़ी लिये जाने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि सरकार के समक्ष ऐसे कई दृष्टांत आये हैं कि सरकारी कार्य हेतु जब भाड़े पर गाड़ी ली जाती है तो वह बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम से न लेकर उसी दर पर अन्य एजेन्सी से ले ली जाती है ।

अतः सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि:-

(i) पटना स्थित राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम से उसके द्वारा निर्धारित दरों पर ही गाड़ी लिया जाये । यदि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम में गाड़ी उपलब्ध न हो, तो उनसे अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही अन्य एजेन्सियों से गाड़ियां निर्धारित दर पर ली जाये ।

(ii) पटना से बाहर स्थित कार्यालय के लिए बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित दर के अन्तर्गत निविदा प्रक्रिया का पालन कर भाड़े पर गाड़ी लिये जाने की छूट रहेगी ।

विश्वासभाजन,

(मिहिर कुमार सिंह)
सचिव(व्यय) ।

2/3